भारत सरकार
सहकारिता मंत्रालय

राज्य सभा
तारांकित प्रश्न सं. 44
बुधवार, 22 जुलाई, 2026 (31 आषाढ़ 1948 (शक)) को उत्तरार्थ

प्राथमिक कृषि सहकारी ऋण समितियों को सुदृढ़ किया जाना

44 **श्री के. आर. एन. राजेश कुमारः**

क्या **सहकारिता** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या प्राथमिक कृषि सहकारी ऋण समितियों (पीएसीएस) को सुदृढ़ किया गया है;

(ख) अब तक कितनी प्राथमिक कृषि सहकारी ऋण समितियों को कंप्यूटरीकृत किया गया है;

(ग) क्या प्राथमिक कृषि सहकारी ऋण समितियों के अंतर्गत नए क्रियाकलापों की अनुमति दी गई है; और

(घ) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

सहकारिता मंत्री
(श्री अमित शाह)

(क) से (घ): संसद के पटल पर एक विवरणी रखी है ।

श्री के. आर. एन. राजेश कुमार, माननीय संसद सदस्य द्वारा "प्राथमिक कृषि सहकारी ऋण समितियों को सुदृढ़ किया जाना" के संबंध में पूछे गए दिनांक 22 जुलाई, 2026 को उत्तरार्थ राज्य सभा तारांकित प्रश्न सं. 44 के भाग (क) से (घ) के उत्तर में संदर्भित विवरण

(क) प्राथमिक कृषि ऋण समितियों (पैक्स) को सशक्त करने का काम एक व्यापक दृष्टिकोण के माध्यम से किया जा रहा है जिसका लक्ष्य उन्हें **आर्थिक रूप से जीवंत, बहुउद्देशीय, पारदर्शी, प्रौद्योगिकी-सक्षम और वित्तीय रूप से संधारणीय जमीनी स्तर के संस्थान** बनाना है । प्रमुख उपायों में 25 से अधिक व्यावसायिक कार्यों की अनुमति देने वाली आदर्श उपविधियों को अपनाना, एक कॉमन ईआरपी-आधारित राष्ट्रीय सॉफ्टवेयर के माध्यम से कार्यशील पैक्स का कंप्यूटरीकरण, अनाच्छादित पंचायतों और गांवों में पैक्स एवं अन्य प्राथमिक सहकारी समितियों का विस्तार तथा विश्व की सबसे बड़ी अन्न भंडारण योजना के माध्यम से कृषि अवसंरचना का विकास शामिल है । पैक्स को कॉमन सेवा केंद्रों, किसान उत्पादक संगठनों, पीएम किसान समृद्धि केंद्रों, जन औषधि केंद्रों, पेट्रोल और एलपीजी डीलरशिप, ग्रामीण जलापूर्ति का प्रचालन एवं रखरखाव कार्य (O&M), सौर-ऊर्जा पहलों तथा बाजार-लिंकेज कार्यक्रमों सहित अनेक आय-सृजक और जनसेवा कार्यों में विविधता लाने हेतु सक्षम बनाया गया है । सरकारी योजनाओं के अभिसरण, ऋण तक पहुंच और अवसंरचना सहायता, माइक्रो-एटीएम, रुपे किसान क्रेडिट कार्ड तथा नाबार्ड, सहकारी बैंकों, एनसीडीसी और अन्य राष्ट्रीय संस्थानों के साथ मजबूत संबंधों के माध्यम से उनकी वित्तीय और सेवा-प्रदाय क्षमता को और अधिक बढ़ाया गया है । सामूहिक रूप से, ये पहल प्राथमिक रूप से ऋण-उन्मुख समितियों से पैक्स को आधुनिक, विविध, आत्मनिर्भर ग्रामीण आर्थिक और सेवा केंद्रों में बदल रही हैं। कुल मिलाकर ये पहलें पैक्स को प्राथमिक क्रेडिट उन्मुखी समितियों से **आधुनिक, विविधिकृत, आत्म-निर्भर ग्रामीण आर्थिक और सेवा केंद्रों** में रूपांतरित कर रही हैं ।

(ख) पैक्स को सशक्त करने के लिए सरकार ने वर्ष 2022 में पैक्स कंप्यूटरीकरण की केंद्रीय प्रायोजित परियोजना शुरू की । भारत सरकार ने 2,516 करोड़ रुपये के कुल वित्तीय परिव्यय से कार्यशील पैक्स के कंप्यूटरीकरण की परियोजना के अधीन 63,000 पैक्स को प्रारंभिक अनुमोदन प्रदान की थी जिसे अब 79,630 पैक्स को कवर करने के लिए 2,925.39 करोड़ रुपये तक बढ़ा दिया गया है, जिसमें सभी कार्यशील पैक्स को ईआरपी (एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग) आधारित कॉमन राष्ट्रीय सॉफ्टवेयर पर लाकर उन्हें राज्य सहकारी बैंकों (एसटीसीबी) और जिला केंद्रीय सहकारी बैंकों (डीसीसीबी) के माध्यम से नाबार्ड के साथ लिंक करना शामिल है । राज्य-वार ब्योरा **अनुलग्नक-I** में दिया गया है ।

(ग) और (घ) 32 राज्यों और संघ राज्यक्षेत्रों द्वारा अपनाए गए आदर्श उपविधियों के माध्यम से प्राथमिक कृषि क्रेडिट समितियां (पैक्स) 25 से भी अधिक व्यावसायिक कार्यकलाप कर सकती हैं । इनका ब्योरा **अनुलग्नक-II** पर दिया गया है ।

अनुलग्नक-I

<u>पैक्स कंप्यूटरीकरण का आंकड़ा (15 जुलाई 2026 तक):</u>

क्रम सं.	राज्य/संघ राज्यक्षेत्र के नाम	स्वीकृत पैक्स	हार्डवेयर वितरित	ईआरपी ऑनबोर्ड
1.	अंडमान और निकोबार	46	46	46
2	आंध्र प्रदेश	2037	2021	2021
3	अरुणाचल प्रदेश	139	14	14
4.	असम	850	709	581
5.	बिहार	4495	4477	4482
6.	छत्तीसगढ़	2028	2028	2028
7.	दमण और दीव	9	4	4
8.	गोवा	86	58	55
9.	गुजरात	6216	5754	5760
10.	हरियाणा	710	710	710
11.	हिमाचल प्रदेश	1885	1789	1598
12.	जम्मू और कश्मीर	708	537	537
13.	झारखंड	2797	1500	1491
14.	कर्नाटक	5894	5491	4590
15.	लद्दाख	10	10	10
16.	मध्य प्रदेश	5455	4536	4536
17.	महाराष्ट्र	12178	12000	12033
18.	मणिपुर	308	196	214
19.	मेघालय	330	108	103
20.	मिजोरम	99	49	45
21.	नागालैंड	231	231	142
22	ओडिशा	4240	0	0
23.	पुदुचेरी	45	45	44
24.	पंजाब	3482	3456	3454
25.	राजस्थान	8525	6781	6933
26.	सिक्किम	131	107	107
27.	तमिलनाडु	4561	4532	4481
28.	त्रिपुरा	475	268	268
29.	उत्तर प्रदेश	6257	3581	3219
30.	उत्तराखंड	1216	670	668
31.	पश्चिम बंगाल	4187	4167	3512
	कुल	**79630**	**65875**	**63686**

अनुलग्नक-II

i. **कॉमन सेवा केंद्र (CSCs) के रूप में पैक्स**: पैक्स ग्रामीण नागरिकों को 300 से अधिक ई-सेवाएं जैसे बैंकिंग, बीमा, आधार नामांकन/अद्यतन, स्वास्थ्य सेवाएं, पैन कार्ड और आईआरसीटीसी/बस/हवाई टिकट आदि प्रदान कर रहे हैं ।

ii. **प्रधानमंत्री जनऔषधि केंद्र (PMBJK) के रूप में पैक्स:** पैक्स का उपयोग जन औषधि केंद्रों का कार्य करने के लिए किया गया है जिससे पीएमबीजेके **(PMBJK)** योजना के अधीन ग्रामीण समुदायों तक किफायती जेनेरिक औषधियों की पहुंच हो सके ।

iii. **प्रधानमंत्री किसान समृद्धि केंद्र (PMKSK) के रूप में पैक्स:** देश में किसानों को उर्वरक और संबंधित सेवाओं की सुलभ पहुंच सुनिश्चित करने के लिए पैक्स को प्रधानमंत्री किसान समृद्धि केंद्र (PMKSK) संचालित करने हेतु सक्षम बनाया गया है ।

iv. **उर्वरक रिटेलर के रूप में पैक्स**: पैक्स को जमीनी स्तर पर उर्वरकों की सुलभ पहुंच की सुविधा के लिए उर्वरक रिटेल व्यापार में भी शामिल किया गया हैं ।

v. **पैक्स द्वारा ग्रामीण नल जलापूर्ति योजनाओं (PWS) के प्रचालन और रखरखाव (O&M) का कार्य:** पैक्स को ग्रामीण क्षेत्रों में ग्रामीण नल जलापूर्ति योजनाओं (PWS) के प्रचालन और रखरखाव (O&M) का कार्य करने के लिए पात्र बनाया गया है ।

vi. **रिटेल पेट्रोल/डीजल आउटलेट के लिए पैक्स को प्राथमिकता:** पैक्स को पेट्रोल/डीजल के रिटेल आउटलेट के कार्य करने की अनुमति दी गई है ।

vii. **थोक उपभोक्ता पेट्रोल पंप को रिटेल आउटलेट में परिवर्तित करने के लिए पैक्स को अनुमति:** मौजूदा थोक उपभोक्ता लाइसेंसधारी पैक्स को तेल विपणन कंपनियों द्वारा खुदरा रिटेल आउटलेट में परिवर्तित करने हेतु वन-टाइम विकल्प दिया गया है ।
